इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017—वैशाख 1, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. एफ-3-183-2011-बत्तीस.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत सलकनपुर निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अत: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 21 अप्रैल 2017 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइड www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में, अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा.

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल-सीहोर.

अ—टंकन त्रुटियों का विवरण:—

1. कंडिका 4.5 भावी जनसंख्या, में टंकित ''वर्ष 2021 के लिये 30 हजार जनसंख्या का आंकलन किया गया है.'' के स्थान पर ''वर्ष 2021 के लिये 27,258 जनसंख्या का आंकलन किया गया है.'' पढ़ा जाये.

2. कंडिका 4.6 प्रस्तावित भू-उपयोग एवं भू-आवंटन—2021 ''में टंकित'' टीप—2 वर्ष 2021 की जनसंख्या 30 हजार आंकलित है.'' के स्थान पर ''टीप—2 वर्ष 2021 की जनसंख्या 27,258 आंकलित है.'' पढ़ा जाये.

ब—उपांतरण का विवरण:—

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण निम्नानुसार है:—

विकास योजना की पुस्तक की कंडिका 6.1, 6.2, 6.5, सारणी 6—सा—2 के नीचे की नोट, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 7.1, 7.3 परिशिष्ट—चार, परिशिष्ट—छ: में प्रस्तावित किया है.

प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic पर अवलोकन किया जा सकता है.

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.